

आपसी सहमति/समझौते के आधार पर भू-स्वामियों से भूमि क्रय करने हेतु आवश्यक अभिलेखों की चेक लिस्ट

क्र. सं.	आवश्यक प्रपत्र/अभिलेखों का विवरण	उस विभाग का नाम जिससे अभिलेख प्राप्त होना है।	टिप्पणी
1	प्राधिकरण पक्ष में विक्रय विलेख हेतु सहमति देने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र।	सम्बन्धित भू-स्वामी द्वारा	लाना है
2	प्राधिकरण पक्ष में विक्रय विलेख हेतु सहमति देने सम्बन्धी शपथ-पत्र।	फोटो सहित नोटरी पब्लिक एडवोकेट	लाना है
3	जोत चकबंदी आकार पत्र (सी0एच0)-41 की सत्यापित छायाप्रति	अभिलेखागार कलेक्ट्रेट, मुरादाबाद	लाना है
4	जोत चकबंदी आकार पत्र (सी0एच0)-45 की सत्यापित छायाप्रति	अभिलेखागार कलेक्ट्रेट, मुरादाबाद	लाना है
5	1359 फसली उद्धरण खतौनी की सत्यापित छायाप्रति	अभिलेखागार कलेक्ट्रेट, मुरादाबाद	लाना है
6	तहसील से प्राप्त मूल उद्धरण खतौनी	तहसील सदर, मुरादाबाद	लाना है
7	तहसील से प्राप्त मूल खसरा	तहसील सदर, मुरादाबाद	लाना है
8	तहसील से प्राप्त मूल/सत्यापित हिस्सा प्रमाण पत्र	तहसील सदर, मुरादाबाद	लाना है
9	तहसील से प्राप्त स्वामित्व सम्बन्धी आख्या	तहसील सदर, मुरादाबाद	लाना है
10	रजिस्ट्री ऑफिस से प्राप्त मूल बारह साला	उपनिबन्धक कार्यालय, रामगंगा विहार, मुरादाबाद	लाना है
11	ऋण भुगतान सम्बन्धी नो ड्यूज प्रमाण-पत्र	सम्बन्धित बैंक से	लाना है
12	भू-स्वामी के नाबालिग होने की दशा में सक्षम न्यायालय से प्राप्त अनुमति प्रमाण-पत्र	सम्बन्धित सिविल न्यायालय से	यदि कोई भू-स्वामी नाबालिग है तब लाना है। यदि कोई नाबालिग नहीं है तो नहीं लाना है।
13	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने की दशा में जिलाधिकारी, मुरादाबाद से प्राप्त अनुमति प्रमाण पत्र	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद	यदि भू-स्वामी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है तब लाना है।
14	आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति	सम्बन्धित भू-स्वामी का	लाना है
15	पैन कार्ड की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति	सम्बन्धित भू-स्वामी का	लाना है
16	यदि भू-स्वामी द्वारा भूमि क्रय की गयी है तो क्रय की गयी भूमि के बयनामों की मूल/सत्यापित छायाप्रति की चेन	यदि भू-स्वामी द्वारा भूमि क्रय की गयी है तब बयनामों की सत्यापित छायाप्रति/मूल प्रति	लाना है
17	यदि कोई भूमि किसी फर्म के नाम है तो फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र Board of Resolution, ROC Registration, MOA, AOA	फर्म के बोर्ड द्वारा	यदि भूमि फर्म/कम्पनी के नाम है तब लाना है
18	Section 89 UPRC 2006 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत फर्म आदि द्वारा प्राधिकरण को क्रय की जाने वाली भूमि के अतिरिक्त उ0प्र0 में कम्पनी की सम्पूर्ण भूमि के विवरण के सम्बन्ध में शपथ पत्र	फर्म के बोर्ड द्वारा	यदि भूमि फर्म/कम्पनी के नाम है तब लाना है
19	काश्तकार का फोटो		लाना है